न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

बनवारी बनाम गोपाल वगेरहा

प्रार्थना पत्र संख्या 121 / 2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
23.09.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील पेश किया गया। वकील प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी के हक अधिकार सहित निहित हक खातेदारी व कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग मे बाधा दखल करते हुए अविभाजित विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व कब्जे, मौके में परिवर्तन सहित मुन्तकिल कराने एवं प्रार्थी को विधिक अधिकारों व मौके से बेदखल कर प्रार्थी के अधिकारों का हनन् करने पर आमदा है। जबकि अविभाजित विवादित भूमि में प्रार्थी के हक अधिकारों से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त कथनों सहित अपनी बहस में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। हमने प्रस्तुत प्रा0 पत्र, शपथ पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मकसूदनपुरा में अविभाजित कृषि भूमि खसरा नं0 111 रकबा 0.92 हैक्टेयर, 129 रकबा 0.74 हैक्टेयर, 74 रकबा 2.32 हैक्टेयर, 83 रकबा 0.54 हैक्टेयर, 90 रकबा 0.06 हैक्टेयर, किता 5 कुल रकबा 4.5800 हैक्टेयर अनुसार भूमि में निर्माण, बय, अंतरण, मुंतकिल नहीं करे तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड व कब्जे मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जे व कृषि उपयोग उपभोग में बाधा, दखल, कब्जा, व्यवधान नहीं करे, प्रार्थी को बेकाबिज नहीं करावे। उक्त कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं ही करे एवं अपने सर्वेन्ट, ऐजेन्ट, परिवारजन आदि से भी ना करावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो, स्टे आदेश की प्रति तहसीलदार, उप पंजीयक व संबंधित थानाधिकारी को पालनार्थ भेजा जावे एवं तलबी अप्रार्थीगण की जारी होकर पत्रावली दिनांक 15/11/21 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
15/11/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प पापड़ा में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/2/22 को पेश हो। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
22/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0 पत्रावली पूर्वानुसार बास्ते तलबी/जवाब अप्रार्थीगण दिनांक 25/04/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

25/04/22 : पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०।
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / वकालतनामा जवाब
दिनांक 16/06/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

16/6/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा
कन्डोलेंस / कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 05/08/22 पेश हो।

5/8/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा
कन्डोलेंस / कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/9/22 पेश हुई।

16/9/22 । पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०
। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब
दिनांक 25/11/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

11/11/22 पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रार्थी वकील श्री महेश शर्मा ने प्रा० पत्र बाबत प्रकरण डिक्री करने हेतु पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। डिक्री प्रा. पत्र को मूल वाद पत्र में शामिल किया जाकर मूलवाद को डिक्री कर खारिज प्रकरण किया जाता है। मूलवाद डिक्री किये जाने पर अब इस T.I. प्रा. पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। T.I. प्रा. पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के बाद हो। बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर